209

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम.के.सिंह
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3613–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2016 पारित द्वारा आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 05/अ–6–अ/2015–16.

मुन्नालाल तिवारी आत्मज स्व0 श्री मोहनलाल तिवारी
निवासी ग्राम मजीठा तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर म0प्र0
_____ अपीलार्थी

विरूद्ध

1. सुभाष तिवारी आत्मज स्व0 रेवाशंकर तिवारी
निवासी एल0आई0जी0 193 धनवंतरी नगर,
गढ़ा जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर
2. म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर जबलपुर
_____ प्रत्यर्थीगण

.....

श्री अशिष अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री ए0के0 गौतम, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15 फरवरी 2017 को पारित)

यह अपील म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आश य का प्रस्तुत किया गया कि मौजा मजीठा प0ह0नं0 43 स्थित भूमि खसरा कमांक 36/2 रकवा 0.21 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिस्वामी दर्ज है बंदोबस्त के पूर्व उक्त भूमि का पुराना खसरा नं 192 रकवा 0.595 (1.47 एकड़) था। 94.5 डिस्मित

भूमि बढाकर पुराने नक्शे की वास्तविक स्थिति को देखते हुये वर्तमान नक्शा सुधार किया जाए। अपर कलेक्टर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्रतिवेदन प्राप्त किया। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11–9–2015 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया। अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त जबलपुर संभाग ने आदेश दिनांक 21–9–2016 को पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करते हुये नक्शा सुधार के आदेश दिये। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 ने लगभग 25 वर्ष पश्चात अभिलेख दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया थास तथा विलम्ब का कोई कारण भी दर्शाया और न ही विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि बन्दोबस्त के समय प्रत्यर्थी कमांक 1 के पिता मूल स्वामी जीवित थे तथा बन्दोबस्त के उपरांत काफी वर्षो तक जीवित रहे है तथा उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रत्यर्थी कमांक 1 ने बंटवारे के आधार पर रिकार्ड दुरूस्त की मांग की है जबकि ऐसा कोई बंटवारनामा प्रमाणित नहीं कराया है तथा बंटवारा पक्षकारों द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने नीवन खसरा नं0 129 रकवा 0.960 है0 में से रकवा 0.18 है0 तथा ख0नं0 167 रकवा 0.15 हे0 में से 0.06 है0 एवं ख0नं0 130 रकवा 3.29 हे0 में से 0.14 हे0 कम किया जाकर ख0नं0 36/2 में शामिल कर कमी पूर्ति का जो आदेश व निष्कर्ष दिया है व अवैधानिक तथा क्षेत्राधिकार विहीन है क्यांकि इस प्रकार की कमी पूर्ति कराने का अधिकार केवल बन्दोबस्त अधिकारी को है तथा इस तरीके का आदेश बगैर किसी

वैधानिक आधार के नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ प्रत्यर्थी कमांक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 की उक्त भूमि ख0क0 36/2 पुराना ख0नं0 192 के राजस्व अभिलेखों में बंदोबस्त के दौरान त्रुटि के कारण उत्तरवादी कमांक 2 की उक्त भूमि का रवा 94.5 हिसमिल कम कर दिया गया था साथ ही उत्तरवादी कमांक 1 की उक्त भूमि के नक्शे में भी बंदोबस्त के दौरान त्रुटि होने के कारण प्रत्यर्थी कमांक 2 की उक्त भूमि का नक्शा भी छोटा कर दिया गया है। जब अपीलर्थी द्वारा उत्तरवादी को वर्ष 2014 में उक्त भूमि के अंश भाग पर कृषि करने में हस्तक्षेप किया जाने लगा तब उसके द्वारा राजस्व अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष बंदोबस्त के दौरान अभिलेखों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार से प्रतिवेदन मांगा। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मांग की जिसपर राजस्व निरीक्षक ने स्थल रिपोर्ट प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शहपुरा द्वारा प्रभावित कृषकों को तलब किया तथा उक्त सुधार हेतु जबाव एवं आपत्तियां तलब की तथा प्रकरण में उक्त प्रभावित कृषकों की साक्ष्य अंकित कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 2/अ–6–अ/14–15 में तहसीलदार के प्रतिवेदन से अपनी सहमति व्यक्त करते हुये नक्शे एवं रकवे में त्रुटि पाए जाने के आधार पर बिना रकबे में संशोधन किए नक्श सुधार हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर जबलपुर की ओर प्रेषित किया गया। परन्तु अपर कलेक्टर ने बिना राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन का अवलोकन किये राजस्व अभिलेखों रक्वा एवं नक्शे में वर्ष 1986–87 में हुए बंदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि पर ध्यान न देकर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11–9–2015 को प्रकरण

निरस्त करने में विधिविपरीत कार्यवाही की है। यह भी तर्क किया कि प्रत्यर्थी प्रश्नाधीन भूमि पर बंदोबस्त के पूर्व के रकवे एवं नक्शे के आधार पर ही काबिज कास्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई है। राजस्व अभिलेखामें में प्रश्नाधीन भूमि के बंदोबस्त के पूर्व एवं पश्चात के नक्शे एवं रकवे में भिन्नता है जो स्पष्ट करता है कि राजस्व अभिलेखों में बंदोबस्त के दौरान त्रुटि हुई है। अपर कलेक्टर द्वारा इस ओर ध्यान न देकर अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा कि आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन कर विधिसंगत आदेश पारित किया जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है। अतः अपील निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रकवा एवं नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में तहसीलदार से प्रतिवेदन मंगाया परन्तु अभिलेख एवं प्रकरण का बिना परीक्षण किये अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंदोबस्त के पूर्व एवं उसके पश्चात के नक्शे एवं रकवे में भिन्नता है। बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि को विधिवत परीक्षण कर दुरूस्त किया जा सकता है। चूंकि उत्तरवादी बंदोबस्त के पूर्व की स्थिति अनुसार ही भूमि पर काबिज चला आ रहा है और अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014 में भूमि पर हस्तक्षेप किया गया इसी कारण उत्तरवादी द्वारा बंदोबस्त की त्रुटि सुधारने हेतु आवेदन दिया जिसे सदभाविक माना जा सकता है। राजस्व अभिलेखों में बंदोबस्त के पश्चात उत्तरवादी के रक्वे में कमी हुई जिसे तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक ने माना है इसके बावजूद भी अपर कलेक्टर द्वारा विचारण न्यायालय की जांच को अनदेखा कर उत्तरवादी का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की। इसी

कारण अपील में आयुक्त ने आदेश दिनांक 21–9–16 में विस्तार से निष्कर्ष निकालते हुये अपर कलेक्टर का आदेश अपास्त कर नक्शा सुधार के आदेश दिये हैं। आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का विधिवत परीक्षक का आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश दिनांक 21–9–16 विधिअनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर